गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(नैक द्वारा A++ मान्यता प्राप्त)
कोनी,बिलासपुर- 495009 (छ.ग.)
दूरभाष: 07752-2602009 फ़ैक्स : 07752-260154
ईमेल-: rajbhashacellggu@gmail.com,वेबसाइट: www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
(A++ Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : rajbhashacellggu@gmail.com. Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 546 / अकादमिक /2025 बिलासपुर, दिनांक- 15.07.2025

सीयूईटी स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

सीयूईटी स्नातक प्रवेश - 2025-26 के लिए निम्नलिखित सूचना जारी की जाती है -

1. प्रवेश प्रक्रिया: चरण-

ऑनलाइन पंजीयन - ऑनलाइन परामर्श - ऑनलाइन शुल्क जमा - भौतिक सत्यापन-प्रवेश

ऑनलाइन पंजीयन लिंक- http://ggu.ac.in या http://ggvcuet.samarth.edu.in .

2. **पंजीयन शुल्क-**
   क . यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250.00 रुपये
   ख. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 100.00 रुपये
3. आवेदकों सीयूईटी स्नातक प्रवेश 2025 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा-

कार्यवाही	तिथि	संबंधित विभाग में उपस्थिति /पंजीयन का समय
प्रवेश और काउंसिलिंग परामर्श के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन **http://ggvcuet.samarth.edu.in**	15.07.2025 से 25.07.2025 तक	प्रवेश प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा
आवेदकों की समग्र प्रावीण्य सूची और शुल्क जमा करने हेतु प्रावीण्य सूची की घोषणा - प्रथम चरण	30.07.2025	
प्रवेश के पहले चरण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा **http://ggvcuet.samarth.edu.in** पोर्टल में ऑनलाइन शुल्क जमा करना	31.07.2025 से 03.08.2025	
शुल्क जमा करने हेतु प्रावीण्य सूची की घोषणा - दूसरा चरण	05.08.2025	
प्रवेश के दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा **http://ggvcuet.samarth.edu.in** पोर्टल में	06.08.2025 से 10.08.2025 तक	

1/4

ऑनलाइन शुल्क जमा करना	
प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनंतिम प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष उपस्थिति एवं दस्तावेजों का सत्यापन (अंकसूची , टीसी आदि)	18.08.2025 से 19.08.2025
भौतिक सत्यापन के बाद रिक्ति की घोषणा और आगे प्रवेश के लिए प्रावीण्य सूची	20.08.2025
यदि आवश्यक हो तो ऑफ़लाइन काउंसिलिंग	29.08.2025
कक्षाओं का प्रारंभ	21.08.2025

4. सभी आवेदक जो CUET UG 2025 में उपस्थित हुए हैं, वे **पंजीयन लिंक- http://ggu.ac.in या http://ggvcuet.samarth.edu.in** पर प्रवेश के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं ।
5. **पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद**, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय उपरोक्त निर्धारित तिथियों पर **प्रावीण्य सूची घोषित करेगा।**
6. **http://ggvcuet.samarth.edu.in** पोर्टल के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर/प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं । यदि प्रवेश हेतु चयनित कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं करता है, तो उसे बाद की प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी आवेदकों को निर्देश और अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए **नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करें ।**
8. **सभी आवेदक जिन्हें** ऑनलाइन काउंसिलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण के बाद प्रवेश मिल **गया है, उन्हें** उपरोक्त तिथियों पर निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में **रिपोर्ट करना होगा -**
    i. 10 वीं / हाई स्कूल अंकसूची
    ii. 12 वीं / हायर सेकंडरी अंकसूची
    iii. जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
    iv. GGV सीयूईटी स्नातक आवेदन पत्र
    v. CUET स्नातक स्कोर कार्ड
    vi. स्थानांतरण प्रमाणपत्र
    vii. ऑनलाइन जमा सेमेस्टर शुल्क की रसीद

यदि कोई अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होगा या उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाएगा या कार्यक्रम के लिए अयोग्य पाया जाएगा, तो उसका प्रवेश भौतिक सत्यापन के बाद रद्द माना जाएगा और प्रवेश के अगले चरण के लिए सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी।

9. विभाग की प्रवेश समिति के माध्यम से विभागाध्यक्ष अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करेंगे तथा भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
10. जिन अभ्यर्थियों ने अर्हकारी हायर सेकण्डरी/12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, या जिन्हें अर्हकारी कार्यक्रम में अनुत्तीर्ण या पूरक घोषित किया गया है, उन्हें भौतिक सत्यापन के समय प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. ऑफ़लाइन/ऑनलाइन काउंसिलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होने मात्र से आवेदक को किसी विषय में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं कर लेता/लेती। अगर किसी आवेदक को अनजाने में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम पात्रता की शर्त को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
12. विश्वविद्यालय में एक बार जमा की गई फीस कक्षाएं शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को वापस नहीं की जाएगी। हालांकि, विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रतिदेय शुल्क वापस किया जाएगा।
13. **उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची CUET UG 2025 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी। हालाँकि, CUET अंकों में किसी भी तरह की बराबरी की स्थिति में, 12 वीं के उच्च प्रतिशत को मेरिट के लिए माना जाएगा, आगे बराबरी की स्थिति में 10 वीं कक्षा के उच्च प्रतिशत को मेरिट के लिए माना जाएगा। आगे की बराबरी की स्थिति में उम्र में अधिक बड़े छात्रों को मेरिट में शामिल किया जाएगा।**
14. विभागाध्यक्ष प्रत्येक प्रवेश चरण के बाद संबंधित डीन से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggu.ac.in पर प्रवेशित छात्रों और रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित करेंगे। विभाग द्वारा प्रवेशित छात्रों का विवरण समर्थ पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा।
15. सभी सत्यापन और प्रावीण्य सूची तैयार करने का कार्य विभाग की प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा।विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रवेश प्रक्रिया का समन्वय करेंगे और काउंसिलिंग के समय आवश्यकतानुसार प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेंगे।

आदेशानुसार/By Order

कुलसचिव (कार्यवाहक)/ Registrar (Acting)

पृष्ठांकन क्रमांक/547/अकादमी/2025 बिलासपुर, दिनांक- 15.07.2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समन्वयक, आईटी सेल को सूचनार्थ तथा सभी के सूचनार्थ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सूचनार्थ ।
4. समस्त अधिष्ठाता /विभागाध्यक्ष/अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी/जन संपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार शुल्क संग्रहण प्रक्रिया के समन्वय हेतु ।
7. कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालय प्रति/Offivl

सहायक कुलसचिव (अकादमी)/Assistant Registrar(Academy)